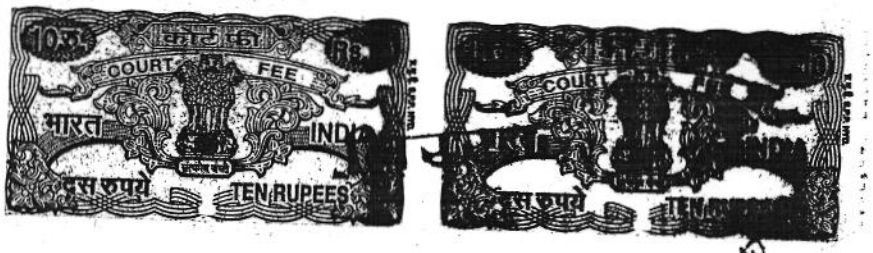

समक्ष मान्नीय राजस्व मण्डल म0प्र0–ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रमांक R-171–II/13 सन् 2012–13

श्रीमती कांति कुमारी पत्नी श्री चन्द्रकिशोर रिछारिया

निवासी बैनीगंज मुहल्ला, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म0प्र0)..... **निगरानीकर्ता**

वनाम

1. नीलकमल पत्नी श्री मातादीन वर्मा निवासी कछयाना मुहल्ला, वार्ड नम्बर–08, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म0प्र0)
2. विक्रमसिंह तनय श्री सुमरत सिंह ठाकुर निवासी ग्राम गठेवरा तहसील व जिला छतरपुर (म0प्र0)

मध्य प्रदेश शासन **अनावेदकगण**

–निगरानी प्रकरण–

यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्र0क्र0 114/निगरानी/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 22.10.12 से असंतुष्ट होकर म0प्र0भू–रा0सं0 1959 (संशोधन अधिनियम 2011) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

मान्यवर,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करती है :–

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा तहसीलदार तहसील छतरपुर जिला छतरपुर (जिन्हे आगे विचारण न्यायालय कहा जाएगा) के समक्ष निगरानीकर्ता के विरूद्ध अभिलेख सुधार हेतु आवेदन पत्र म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में दर्ज 1/2 हिस्सा को 3/4 दर्ज किये जाने हेतु प्र0क्र0 44/अ–6अ/08–09 प्रस्तुत किया। जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा उपस्थित होकर विचारण न्यायालय के समक्ष आपित्त प्रस्तुत की कि खसरा नम्बर 11 स्थित ग्राम गठेवरा का 1/2 हिस्सा निगरानीकर्ता ने अनावेदक क्रमांक 02 से जरिए पंजीयन विक्रय पत्र क्रय किया है। जिसका विधिवत नामांतरण प्र0क्र0 53/अ–6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 10.10.05 के अनुसार किया गया है। इस कारण विचारण न्यायालय को अभिलेख सुधार की अधिकारिता नहीं है तथा निगरानीकर्ता के पक्ष में पारित आदेश अपील योग्य होने से अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत अभिलेख सुधार का दावा निरस्त किए जाने योग्य है। निगरानीकर्ता की आपत्ति

(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-171-दो/2013 जिला छतरपुर कांतीकुमारी विरूद्ध **नीलकमल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेंद्र चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 114/निगरानी/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22-10-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-01-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण	

21.12.18

याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.12.18
सदस्य